न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 332/2026 अनवान आसु व अन्य बनाम गोकुल वगैरा

दिनांक 12/05/2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र/वाद संख्या 07/2024 (2024/116) बअनवान आसु व अन्य बनाम गोकुल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर आग्रह किया कि द्वितीय सेटलमेंट के दौरान तहसील सांचौर स्थित ग्राम विष्णुनगर के पुराना खसरा नम्बर 83 के नवीन खसरा नम्बर 151 व 152 सृजित कर जमाबंदी में रकबा 3.15 हैक्टर दर्ज किया गया, परंतु नक्शें में आकृति केवल 2.71 हैक्टर दर्शायी गई। इसमें 0.44 हैक्टर भूमि कम दर्शायी गई। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 82 के नवीन खसरा नम्बर 149 व 150 सृजित कर वास्तविक रकबा 3.58 हैक्टर के स्थान पर अधिक दर्ज कर दिया गया। साथ ही जिन खसरों में पूर्व में कोई रास्ता चलायमान नही था, उनमें गलत तरीके से रास्तानुमा आकृति दर्शा दी गई। कई स्थानों पर माठ (सीमा) की लंबाई भी पुराने नक्शे के विपरित अधिक/कम दर्ज कर दी गई है, जिससे सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः पूर्व के रेकर्ड अनुसार राजस्व नक्शें व जमाबंदी में त्रुटियों को दुरूस्त करवाने व भूमि की स्थायी सीमा निर्धारण की कार्यवाही करवाने तथा प्रार्थी की भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–आसु वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री कल्याणसिंह लालरिया एवं रेस्पो0सं0 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 एवं 111, 128 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसील सांचौर स्थित ग्राम विष्णुनगर के पुराना खसरा नम्बर 83 के नये ख0नं0 151 एवं 152 की रकबा भूमि अपीलार्थी सं0 1 से 6 की खातेदारी में दर्ज है तथा पुराना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नम्बर 84 तथा 85 के नये ख0नं0 154 एवं 155 की रकबा भूमि अपीलार्थी सं0 7 से 12 के नाम रेकर्ड में दर्ज है।

इसी प्रकार पुराने ख0नं0 82 के नये ख0नं0 149 व 150 तथा पुराने ख0नं0 81 के नये ख0नं0 145, 146, 147, 148, 153 की रकबा भूमि प्रत्यर्थी गोकुल, जगदीश, हरिराम के नाम रेकर्ड में दर्ज है।

गत भू प्रबंध एवं सर्वे संवत् 2012 में बनाये गये नक्शा में ख0नं0 81, 82, 83, 84, 85 पास –पास लगे हुए दर्शाये गये है एवं नक्शा अनुसार मौके पर काश्तकार कब्जाकाश्त है। नये सर्वे सन् 1.9.1993 से 31.08.2013 के लिए (भू प्रबंध विभाग) से सर्वे के बाद उक्त पुराने खसरान से नये खसरे सृजित किए गये, उनके रकबे में तो लगभग समानता है, किन्तु उनकी आकृति पुराने खसरान के अनुरूप नही है। कुछ खसरों की आकृति अनुसार, उनका रकबा सही नही निकला है। इसी आकृति की त्रुटी के कारण अपीलांट के ख0नं0 152 का वास्तविक रकबा 2.7117 ही आ रहा है जबकि जमाबंदी में 3.15 हैक्टर दर्शाया गया है, अर्थात इसकी आकृति 0.44 हैक्टर कम कर दी गई है।

इस ख0नं0 152 के पूर्व में प्रत्यर्थी का ख0नं0 149 दर्शाया गया है, जो पुराने ख0नं0 82 से सृजित हुआ है, इसका रकबा 22.14 बीघा (3.38 है0) था, परंतु नये सर्वे में ख0नं0 82 से ख0नं0 149 रकबा 3.60 हैक्टर तथा ख0नं0 150 रकबा 0.8 है0 बनाये गये। ख0नं0 149 व 150 का वास्तविक रकबा (नक्शे अनुसार) 3.91 है0 है।

इसी प्रकार अपीलांट के ख0नं0 152 के नक्शे की आकृति में ख0नं0 150 गै0मु0 रास्ता सृजित करके प्रत्यर्थीगण के खाते में दर्शाया गया है तथा रास्ते के आगे पूर्व दिशा में ख0नं0 149 में अपीलांट की भूमि सम्मिलित कर दी गई है, जो गलत है। जिसे नये नक्शों व जमाबंदी में दुरूस्त कर, संशोधित मानचित्र के आधार पर अपीलांट के खसरान की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिक्षण के बिना ही इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ख0नं0 150 का रकबा 0.08 है0 गै0मु0 रास्ता रामलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज है, परंतु रामलाल को आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया तथा पुराने एवं नवीन नक्शें में मिलान संबंधी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गये। इसी प्रकार प्रार्थी–अपीलांट के ख0नं0 151, 152, 155 के माठ की स्थायी नेखमबंदी हेतु पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया व पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 सपठित धारा 128, 111 व अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आधारहीन व पोषणीय नही है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पडौसी खातेदारान/अन्य संबंधितो को पक्षकार मुकदमा संयोजित करने अथवा साक्ष्य दस्तावेज तलब करने हेतु आदेशित किया जा सकता था। चूंकि अपीलार्थीगण–प्रार्थी हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त समस्त तथ्यों बाबत प्रकरण में सुनवाई चाहता है अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र वाद संख्या 07/2024 (2024/116) बअनवान आसु व अन्य बनाम गोकुल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 12-5-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

12.5.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर